

कार्यालय आदर्श नगर पंचायत निचलौल जनपद— महाराजगंज

पत्रांक / न०पं०नि० / नीलामी / 2019-20

दिनांक— 25.01.2020

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत निचलौल जनपद— महाराजगंज सीमान्तर्गत विभिन्न मुहल्लों में स्थित दस वर्षीय पोखरियों की खुली बोली / नीलामी दिनांक 29.01.2020 को समय 11.00 बजे से नगर पंचायत निचलौल कार्यालय पर किया जायेगा। नियमो / शर्तों की जानकारी कार्यालय दिवस में कार्यालय नगर पंचायत निचलौल से प्राप्त की जा सकती है। खुली बोली / नीलामी हेतु पोखरी निम्न है।

क०सं०	पोखरी का गाटा संख्या	जमानत धनराशि
1	बरगदवां की बडी पोखरी गाटा सं० 01 रकवा 2.1570	1,00,000.00
2	घोडहवा की बौलिया पोखरी गाटा सं० 1919 रकवा 0.4050	50,000.00
3	घोडहवा की सेमरहिया पोखरीगाटा सं० 1302 ग रकवा 0.4220	25,000.00
4	मारवाडी मुहल्ला की इटहिया पोखरी गाटा सं० 2338 रकवा 0.2470	25,000.00
5	घोडहवा की ओरली पोखरी गाटा सं० 1354 रकवा 0.5060	15,000.00
6	घोडहवा की पुल की पास वाली पोखरी गाटा सं० 1390 रकवा 0.1250	15,000.00
7	घोडहवा की मलमलिया पोखरी गाटा सं० 1554 रकवा 0.3720	15,000.00
8	मारवाडी मुहल्ला की भैसौरा पोखरीगाटा सं० 2408 रकवा 1.3760	15,000.00

नियम / शर्तें

1. बोली में वही व्यक्ति भाग ले सकता है जो जनपद— महाराजगंज का निवासी हो।
2. पोखरी का उपयोग मछली पालने हेतु एवं सिधांडा लगाने के लिए करना होगा अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करना होगा।
3. नगर पंचायत के किसी भी बकायेदार को बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
4. बोली में भाग लेने वाले व्यक्तियों को प्रत्येक पोखरी में जमानत की धनराशि अग्रिम जमा करने के पश्चात् ही बोली में भाग लेने का अधिकार होगा।
5. नीलामी / बोली समाप्त होने के तुरन्त बाद उच्चतम बोली का 1/4 धनराशि तुरन्त जमा करना होगा। तथा अवशेष धनराशि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/4 भाग अर्थात् 06 वर्ष के अन्दर प्रत्येक दशा में जमा करना होगा। नहीं तो नीलामी स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
6. नीलामी लेने वाले व्यक्ति को अपने व्यय से नियमानुसार अनुबन्ध करने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जायेगा।
7. बोली स्वीकृति व अस्वीकृति करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा।
8. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि विना कोई कारण बताये ही आवश्यकतानुसार नीलामी / बोली की कार्यवाही स्थगित / निरस्त कर सकते हैं।
9. नीलामी की अवधि स्वीकृति के दिनांक से दस वर्ष तक का होगा।
10. पोखरियों से सम्बन्धित जानकारी कार्यालय दिवस में नीलामी के पूर्व प्राप्त किया जा सकता है।
11. शासना देश के कम में प्रत्येक वर्ष कार्यादेश का नवनीकरण कराना होगा।
12. पिछली नीलामी / बोली की धनराशि से 10 प्रतिशत अधिक बोली आने पर ही नीलामी / बोली की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13. बोलीदाता को किसी दैविय आपदा या किसी अन्य कारण से नीलामी धनराशि में किसी भी प्रकार की छूट या अनुदान अथवा समय बृद्धि नहीं दी जायेगी।
14. निकाय के अध्यक्ष/सदस्य/अधिकारी/कर्मचारी को उनके सम्बन्धी या रिस्तेदार बोली में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा।
15. उक्त बोली से सम्बन्धित यदि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या ठेके /नीलामी से सम्बन्धित कोई मुकदमा या रिट याचिका हो जाता है तो ठेकेदार को स्वयं अपने खर्चे से वाद/मुकदमा/रिट याचिका/अपिल/वाद विवाद अपवाद की पैरवी आदि स्वयं करना होगा। तथा इसके सम्बन्धित जो भी व्यय होगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।
16. यदि बोलीदाता उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसका बोली/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। जिसकी सारी जिम्मेदारी सम्बन्धित बोलीदाता की होगी।
17. बोलीदाता को उपरोक्त शरायत के 01 से लेकर सरायत 16 तक अक्षरशः पालन करना होगा।

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

पत्रांक 011(6) / न0पं0नि0 / 2019-20 / नीलामी सूचना / दिनांक-
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, महराजगंज।
2. प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, महराजगंज।
3. उपजिलाधिकारी महोदय निचलौल, महराजगंज।
4. पुलिस क्षेत्राधिकारी निचलौल- महराजगंज।
5. थानाध्यक्ष निचलौल को नीलामी के समय शान्ति व्यवस्था हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।
6. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. महराजगंज को इस आशय से प्रेषित कि इस विज्ञापन को वेबसाइट [www. Maharajganaj.nic.in](http://www.Maharajganaj.nic.in) पर डालने की कृपा करें।
7. नगर पंचायत निचलौल के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

अधिशाली अधिकारी
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज

अध्यक्ष
नगर पंचायत निचलौल
महराजगंज